पत्रांक - 641/138/DDA/DU/23
दिनांक - 2-9-2023

दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

अपील संख्या : **5 8**

अपील अंतर्गत धारा 19(1) सू. का अधि. अधिनियम 2005

समक्ष : डॉ0 एम0एस0 मन्द्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

अपीलकर्ता : डॉ0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

बनाम

प्रतिवादी : 1. लोक सूचना अधिकारी/उप कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी/सहायक कुलसचिव (प्रशासन) दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी/सहायक कुलसचिव (लेखा) दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

आदेश

डा0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून को इमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया जो विश्वविद्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी की मेल पर दिनांक 20 जुलाई 2023 को अपराह्न 1:34 बजे प्राप्त हुआ।

उक्त अपील को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 58 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 17 अगस्त 2023 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 541/138/DDA/DU/2023 दिनांक 8 अगस्त 2023 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेष जारी किये गये जिसको कि इमेल के माध्यम से सभी पक्षों को प्रेषित किया गया।

1. अपील की सुनवायी हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी तथा प्रतिवादी श्री नरेन्द्र लाल, लोक सूचना अधिकारी, श्री संजय कुमार घिल्डियाल, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र सं0 431 दिनांक 20.06.2023 संलग्नकों सहित), प्रथम अपील पत्र इमेल दिनांक 20 जुलाई, 2023, लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय का लिखित अभिकथन पत्रांकः 461/DR/2023 दिनांक 16.08.2023 संलग्नकों सहित तथा अपीलकर्ता एवं सभी प्रतिवादियों के मौखिक अभिकथनों को कार्रवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाया गया।

3. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उन्हें सूचना जानबूझकर, अपूर्ण तथा भ्रामक सूचनायें प्रदान की गयी एवं दुर्भावनावश से सूचना देने से इन्कार किया गया तथा नियम विरूद्ध तरीके से सूचनायें बनायी गयी,। उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि यदि कुलसचिव कार्यालय एवं वित्त कार्यालय से से अभिलेख गायब हैं तो उसके लिये तत्काला प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिये तथा सूचना प्रदान करने से पूर्व आवेदनकर्ता को अभिलेखों की जॉच एवं सत्यापन करने का अवसर प्रदान करना चाहिये।

4. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील पत्र में यह उल्लेख नही किया गया कि उन्हें किन बिन्दुओं पर प्रदान की गयी सूचना पर उपरोक्त आपत्तियां हैं अथवा वे उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्हें बिन्दुवार आपत्ति पत्र देने हेतु कहा गया लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया तथापि अपील के दौरान बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करते हुये अपील प्रक्रिया संचालित की गयी। जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् हैः–

बिन्दु सं0 1

अपीलार्थी : सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है

प्रतिवादी : सहायक कुलसचिव प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : प्रतिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना विश्वविद्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि कहीं यह सूचना मिल जाती है तो प्रतिवादी अपीलार्थी को उपलब्ध करा दें।

एवं बिन्दु सं0 2.

अपीलार्थी : सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

प्रतिवादी : प्रतिवादी, सहायक कुलसचिव प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलकर्ता को दिनांक 22 नवम्बर 2022 को पत्र सं0 823/148/डी0यू0–2022 के माध्यम से बिन्दु सं0 6 के उत्तर में संलग्नक 4 के रूप में कार्य परिषद की बैठक के कार्यवृत्त दिये जा चुके हैं उनका अवलोकन करें।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : जैसा कि प्रतिवादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सूचना अपीलार्थी को पूर्व में दी जा चुकी है तो पूनः उसी सूचना को देने का औचित्य नहीं है। इस पर अपीलकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु सं0 3 अपीलकर्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी।

बिन्दु सं0 4 सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु सं0 4.1 सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी।

बिन्दु सं0 4.2 एवं 4.3 के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी।

बिन्दु सं0 4.4 सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। अपीलार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु सं0 5 के सम्बन्ध में अपीलकर्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नही की गयी।

बिन्दु सं0 6 प्रतिवादी, सहायक कुलसचिव, लेखा द्वारा अवगत कराया गया कि लेखा विभाग को शासन से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिये नहीं दी जा सकती है।

5. विश्वविद्यालय के अभिलेखों में धारित सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं। अन्य में बिन्दुवार आदेश दे दिये गये हैं।
6. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए, निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।
7. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

दिनांक 17/08/2023

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर,
पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/115

नोट : अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।